राजकीय कन्या महाविद्यालय,अजमेर

शिक्षक आचार संहिता

शिक्षक समाज का पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक का दायित्व होता है कि वह पेशे की गरिमा, आदर्शों और मानवीय मूल्यों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखे। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा, आलोचना के अधीन रहता है; इसलिए प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद न हो। पूर्व निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय और वैश्विक आदर्शों, सांवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और उन्हें छात्रों के मध्य प्रसारित करना एक शिक्षक का दायित्व होना चाहिए। इस व्यवसाय की आवश्यकता है कि शिक्षक शांत धैर्यवान, मिलनसार, सतत अध्ययनरत और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।

१. एक शिक्षक को ऐसे जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि साथी समुदाय और समाज उनसे आशा करता है और वे अपने साथी समुदाय से स्वयं के लिए अपेक्षा करते हों।
२. उन्हें अपने निजी मामलों का का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हो।
३. एक शिक्षक को अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार अद्यतन रहना चाहिए और बौद्धिक विकास करना चाहिए।
४. ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाली। बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भागीदारी करनी चाहिए। विषय की अकादमिक समितियों, संगठनों में सक्रिय सदस्यता बनाए रखनी चाहिए।
५. विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षण, अनुशिक्षण, प्रायोगिक ज्ञान संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए।
६. एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वे शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं हो और साथ ही उन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करें।
७. एक शिक्षक को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के नियमों व विश्वविद्यालय के अधिनियम,सांविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए।

८. छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए।
९. महाविद्यालय के विकास में अपना यथोचित पूर्ण योगदान करना चाहिए।
१०. कॉलेज और विश्वविद्यालय की शैक्षिक जिम्मेदारियों को तत्परता से पूर्ण करना चाहिए।
११. प्रवेश के लिए आवेदनों के मूल्यांकन में सहायता करना और छात्रों को परामर्श देने के साथ-साथ उन्हें उचित मार्ददर्शन भी प्रदान करना चाहिए।
१२. विश्वविद्यालयी परीक्षाओं और मूल्यांकन में तटस्थ और निष्पक्ष आचरण का निर्वहन करना चाहिए।
१३. प्रशासन द्वारा प्रदत्त सभी आदेशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए।
१४. सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों में सतत भाग लेना चाहिए।
१५. सामुदायिक सेवा के कार्यों में लिप्त रहना चाहिए।
१६. एक शिक्षक को जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति से परे छात्रों के आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए।
१७. छात्रों को उनकी उपलब्धियों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उनका सर्वांगीण विकास करे।
१८. छात्राओं को राष्ट्रीय विरासत की समझ विकसित करने में सहायता करे।
१९. छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अस्मिता बोध विकसित करे और प्रकृति से प्रेम करना सिखाए।
२०. श्रम और लोकतंत्र, देशभक्ति और शांति के आदर्श प्रतिमानों के उदाहरण प्रस्तुत करे।
२१. शिक्षकों को गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सहकर्मियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।
२२. शिक्षकों को नियमित बैठकों के माध्यम से छात्राओं के अभिभावकों से संपर्क बनाए रखना चाहिए तथा विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट से अवगत करवाना चाहिए।

प्राचार्य

डॉ.मंजुला मिश्रा